<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर</u>

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या--6635/2006
विजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:16.11.2006

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री नवीन कुमार शर्मा, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री आर एस मक्कड़, डी एस ओ
श्री हरिश कुमार, आई.ओ. व्यक्तिश: उपस्थित

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-289/2006 पुलिस थाना-बगरू, जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओरसे तर्क दिया गया है कि उनकी फैक्ट्री जी-204 रीको औधोगिक क्षैत्र बगरू ने पेन्ट, प्राइमर, थीनर, रजिन आदि बनाने का कारोबार सन् 1997-98 में प्रारम्भ किया था तथा कच्चे माल के रूप में डाई एण्ड पिगमेंट, चायना क्ले, सोप स्टोन टिटिनियम डाई ऑक्साइड , जालिन रोजीन, सुपीरियर केरोसिन ऑयल, मिनिरल टरपिन ऑयल, बैन्जीन, इण्डस्टीयल सोलवेन्ट इत्यादि काम में लिये जाते थे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर लाइसेंस प्राप्त कर रखा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि लगभग दो वर्ष से फैक्ट्री बन्द पड़ी थी तथा बिजली व पानी का कनेक्शन भी कटा हुआ था। फेक्ट्री में जो फ्री सेल का केरोसिन वर्ष 2001-2002 में कच्चे माल के रूप में खरीदा था, को ही पेन्ट इत्यादि बनाने के लिए प्रोसेसिंग के काम में लिया गया था तथा उसके ही टेंक भरे हुए थे, जिससे कि फिर फैक्ट्री चालू होने पर वही प्रोसेसिंग काम में लिया हुआ केरोसिन पुन: काम में लिया जा सके। उनका यह भी तर्क रहा है कि पेन्ट व प्राइमर बनाने के रूप में उपयोग में आने वाले वेसल्स को साफ करने पर केरोसिन का रंग हरा, पीला व नीला भूरा हो जाता है। रेजिन पीला होने के कारण उसे सफेद करने के लिए ब्ल्यू डाई का प्रयोग

किया जाता है तथा रेजिन के वेसल्स को साफ करने के लिए केरोसिन व अन्य पदार्थों का प्रयोग करने से केरोसिन का रंग नीला हो जाता है, वही केरोसिन ड्रमों में भरा हुआ मिला था। उसके द्वारा न तो कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान से नियंत्रित दर से बेचे जाने वाला केरोसिन खरीदा गया था और न ही उसका प्रयोग किया गया था। एफ एस एल में जांच हेतु केरोसिन के सेम्पल भेजे गये थे उसकी जांच रिपोर्ट में भी यह उल्लेख नहीं है कि उक्त सेम्पल में पाया गया नीले रंग का केरोसिन में उसी प्रकार की नीली डाई का प्रयोग किया गया था, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेचे जाने वाले नीले रंग के करोसिन में होता है अपितु एफ एस एल की रिपोर्ट से तो स्पष्ट है कि जो केरोसिन जप्त किया गया है उसमें कुछ मात्रा करोसिन की तथा कुछ अन्य प्रकार का तेल था तथा सेम्पल भी हरा नीला बताया गया है। जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त तेल में एक विशिष्ट प्रकार की नीली डाई का प्रयोग कर तेल का रंग नीला किया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त-प्रार्थी की फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के नीले केरोसिन, ड्रमों में भरे पाये गये इस तरह बिना लाइसेंस के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचे जाने योग्य नियंत्रित नीले केरोसिन तेल को संग्रहित कर उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किया गया है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया।

अभियुक्त- प्रार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रित नीले रंग के केरोसिन तेल को संग्रहित करने का मामला है तथा जप्त किये गये सेम्पलों को जांच हेतु एफ एस एल भी भेजा गया है। एफ एस एल रिपोर्ट के अनुसार एक बोतल में ग्रीन शेड ब्ल्यू रंगीन तरल पदार्थ, दूसरी बोतल में हल्का भूरा रंग का तरल पदार्थ, तीसरी बोतल में हरा नीला रंगीन तरल पदार्थ तथा चौथी बोतल में नीला रंगीन तरल पदार्थ तथा एक अन्य बोतल में बिना रंग का तरल पदार्थ जांच हेतु प्राप्त हुए थे,एफ एस एल रिपोर्ट के अनुसार कुछ बोतलों में केरोसिन के साथ अन्य शेष अवशिष्ट तेल भी पाया गया, एक बोतल वोलेटाइल इन्फेलेमेबल पेट्रोलियम सॉलवेन्ट, जो थिनर में प्रयुक्त होता है, पाया गया है। लेकिन रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया गया है कि नीले रंग के केरोसिन में प्रयुक्त नीले रंग की डाई वैसी ही थी, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रित नीले केरोसिन में प्रयुक्त होती है। हमारे समक्ष एफ एस एल रिपोर्ट संख्या 123/2004 दिनांक 11.3.2005 किसी अन्य प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्तुत हुई है, जिसमे भेजे गये तरल पदार्थ का निरीक्षण कर यह विशिष्ट राय दी गयी है कि केरोसिन में वेसी ही नीले रंग की डाई का प्रयोग हुआ था, जैसा कि नियंत्रित करोसिन में नीले रंग की डाई का प्रयोग होता है। इस संदर्भ में डी एस ओ द्वारा इण्डियन ऑयल कॉ. द्वारा जारी किये गये परिपत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें समस्त

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त केरोसिन में एक ही तरह की ब्ल्यू डाई मिलाने के दिशा निर्देश हैं।

यह अभियोजन का मामला नहीं है कि निरीक्षण के समय अभियुक्त-प्रार्थी फैक्ट्री चला रहा था अपितु वह तो एक वर्ष से भी अधिक समय से बंद होना बतायी गयी है ।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा निवासी- एन-38, नवीन शहादरा दिल्ली वर्तमान निवासी-601, प्रताप एनक्लेव, बनीपार्क, जयपुर को पुलिस थाना- बगरू, जयपुर- में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 289/06-में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये 2**0,000/-** (बीस हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये 10**,000/- --10,000/-(दस-दस हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।
4. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)